भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4092
सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

4092. श्री राजू बिष्टः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रम संहिताओं के अनुपालन की पुष्टि के लिए सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों के चाय बागानों में, किए गए निरीक्षणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए उल्लंघनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उल्लंघन करने वाले चाय बागानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उत्तर बंगाल के चाय बागानों के लिए चार नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): 29 श्रम अधिनियमों को 04 श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित किया गया है।

इन संहिताओं के प्रभावी हो जाने के पश्चात संहिताओं के उपबंधों के अनुपालन की पुष्टि के लिए निरीक्षण शुरू हो सकता है।

****